फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

जगदीश आदि बनाम गुरविन्द्र सिंह व अन्य

किस्म मुकदमाः–88,53,209 आरटीए प्रकरण संख्याः–225/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि वाके चक 1 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 70/16 के पत्थर संख्या 43/359 (36) की कुल 2.099 हैक्टर नहरी नाली दोयम मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादी–1 के मध्य सहमति से घरेलू बंटवारा करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। अब प्रतिवादी संख्या–1 घरेलू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाने में टालमटोल कर रहा है। इसलिये दावा स्वीकार कर खाता विभाजन करने का निवेदन किया। दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से वकील श्री अजय अरोड़ा ने दिनांक 18.11.22 को अंडरटेकिग दी। इसके पश्चात् उपस्थित नही आने पर दिनांक 25.08.2023 को प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा जवाब स्टेट बंद कर साक्ष्य वादी लिये गये। वादी लेखराम द्वारा लिखित बयान शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जिरह शून्य रही। साक्ष्य वादी बंद कर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र को दोहराते निवेदन किया गया वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से वाके चक 1 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 70/16 के पत्थर संख्या 43/359 (36) की कुल 2.099 हैक्टर नहरी नाली दोयम मय खाला खातेदारी भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। उक्त बंटवारा करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। अतः मुताबिक घरेलू बंटवारा खाता विभाजन किया जावे। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 1 एस0जी0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 70/16 के पत्थर संख्या 43/359 (36) की कुल 2.099 हैक्टर नहरी/नाली दोयम मय खाला भूमि वादीगण व प्रतिवादी–1 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। वादीगण, प्रतिवादी–1 से जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है। इसिलये संयुक्त खाता की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीग–1 के मध्य जमाबन्दी में उनके अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 1 एस0जी0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 70/16 के पत्थर संख्या 43/359 (36) की कुल 2.099 हैक्टर नहरी/नाली दोयम मय खाला भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार मात्र वादीगण द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर 15 दिवस में नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली जावे। निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (सन्दीप कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::प्राथमिक परचा डिक्री::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. जगदीश पुत्र चन्दूराम
2. रामप्रताप पुत्र चन्दूराम
3. लेखराम पुत्र चन्दूराम
4. दुर्गा देवी पत्नी ओमप्रकाश

अकवाम कुम्हार निवासीयान चक 1 एस.जी.एम. भगवानसर तहसील सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1. गुरविन्द्र सिंह पुत्र हरदत्त सिंह जाति जटसिख साकिन 1 एस.जी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र धारा–88,53,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 225 वर्ष 2022 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री राजवीर भादू तथा पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 1 एस0जी0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 70/16 के पत्थर संख्या 43/359 (36) की कुल 2.099 हैक्टर नहरी/नाली दोयम मय खाला भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं मौका पर कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार मात्र वादीगण द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर 15 दिवस में नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग......खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह......ग...... फस्दों की पालना......ग......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 09.02.2024 को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)